10-09-25

वकील वादी द्वारा प्रा० पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वादीगण प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही करना चाहते है। अतः वादपत्र विड्रोल किये जाने के आदेश प्रदान करें। वादी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अजीत कुमार

(सुनील [illegible] अधिकारी
घड़साना